संख्या-21/2016/743/38-4-16-19(बजट)/2015

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 27 जून, 2016**

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2015-16 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की (के0-60:रा0-40) धनराशि की वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक से वित्तीय स्वीकृति जारी किया जाना(अनुदान संख्या-83)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-71/सम्प्रेक्षा/इं0आ0यो0/2016-17, दिनांक-28 अप्रैल, 2016, एवं पत्र संख्या -140/सम्प्रेक्षा/इं0आ0यो0/2016-17, दिनांक-14 जून,2016 के साथ क्रमशः संलग्न भारत सरकार के पत्र सं0-12036/01/2015-आर0एच0(ए/सी)-1ए-उत्तर प्रदेश, दिनांक-25-04-2016 तथा पत्र सं0-12036/01/2015-आर0एच0(ए/सी)-2/ए-उत्तर प्रदेश, दिनांक-27-05-2016 (10 जनपदों हेतु तथा जनपद-कुशीनगर को छोड़कर) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष- 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रू0-183645.65 लाख के सापेक्ष वर्ष 2015-16 की द्वितीय किश्त के रूप में उक्त शासनादेशों द्वारा भारत सरकार से अवमुक्त केन्द्रांश रू0 30539.818 लाख + रू0 5713.253 लाख अर्थात कुल रू0 36253.071 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश रू0 24168.714 लाख को सम्मिलित करते हुये कुल **रू0-60421.785 लाख (रूपये छः अरब चार करोड़ इक्कीस लाख अठहत्तर हजार पांच सौ मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

(2)-स्वीकृत धनराशि का आहरण आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के द्वारा आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी भी दशा में पी0एल0ए0/डाकघर/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इस धनराशि को नये प्रधानमंत्री आवासों/कच्चे आवासों को पक्का आवासों में उच्चीकृत/निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा।

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च, 2016 में निर्दिष्ट निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-प्रश्नगत धनराशि का संग्रहण/व्यय आदि के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देश के प्राविधानों के तहत तथा धनराशि को आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 खाते में रखी जाये।

(7)-स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं उपबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

(9)- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को नये प्रधानमंत्री आवासों/कच्चे आवासों को पक्का आवासों के उच्चीकृत/ निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

(10)-समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(11)-इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

(12)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण)(के.60/रा.40'के+रा.)-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-596/2016, दिनाक-27 जून, 2016 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या- 21/2016/743(1)/38-4-2016, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
9- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11- गार्डबुक।

आज्ञा से,
(पी0 एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।